



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / नामांकन / 2025 /1018

दिनांक : 16 अक्टूबर 2025

संशोधित अधिसूचना

नामांकन सत्र जुलाई 2025 के लिए ऑनलाईन नामांकन फार्म भरने की लिंक को एक दिवस के लिए दिनांक 17/10/2025, शुक्रवार को खोला जा रहा है। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक/नामांकन/2025/995 दिनांक 13 अक्टूबर 2025 जारी की गई थी जिसमें पैनाल्टी राशि रु. 1500/- प्रति छात्र घोषित की गई थी।

अध्ययन संस्थाओं के निवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरान्त, वरिष्ठ स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार पैनाल्टी राशि रु. 1500/-के स्थान पर राशि रु. 1000/- प्रति छात्र निर्धारित की जाती है। अतः दिनांक 17/10/2025 को ऑनलाईन भरे हुए फार्म के साथ नामांकन शुल्क की राशि रु. 1250/- के अतिरिक्त पैनाल्टी राशि रु. 1000/- (कुल राशि रु. 2250/- प्रति छात्र) देय है।

अध्ययन संस्थाएँ/विभाग/परिसर दिनांक 17/10/2025 को छात्रों के ऑनलाईन नामांकन/पंजीयन फार्म भरना सुनिश्चित करें। नामांकन/पंजीयन फार्म के प्रिंट आउट एवं वांछित दस्तावेज दिनांक 24/10/2025, शुक्रवार तक नामांकन शाखा में स्वीकार किए जायेंगे।

sdl
(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

पू.क./नामांकन/2025/1019

दिनांक : 16 अक्टूबर 2025

प्रतिलिपि :-

- माननीय कुलगुरु को निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- कुलसचिव को निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- निदेशक (ए.एस.आई), मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
- समस्त विभागाध्यक्ष, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- दत्तिया परिसर, रीवा परिसर एवं खंडवा परिसर प्रभारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी, सांध्यकालीन पाठ्यक्रम, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वित्ताधिकारी, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
- सहायक कुलसचिव (परीक्षा), मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सहायक कुलसचिव (गोपनीय)/(नामांकन), मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सहायक कुलसचिव, अकादमिक मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ऑनलाईन शाखा, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रमुख वाणिज्य विकास, एम.पी.ऑनलाइन लि. भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.mcu.ac.in पर ऑनलाइन प्रकाशित)।

(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक